केवल शासकीय प्रयोग हेतु

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

पंचायत निर्वाचन–2010

मतगणना अधिकारियों/कर्मचारियों के
उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका

राज्य निर्वाचन आयोग(पंचायत एवं स्थानीय निकाय),
उत्तर प्रदेश
पी0 सी0 एफ0 भवन
32, स्टेशन रोड, लखनऊ

प्रस्तावना

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथासंशोधित) के अधीन बनाई गई उ0 प्र0 पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 तथा उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) के अधीन बनाई गई उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के चार पदों/स्थानों यथा (1) सदस्य ग्राम पंचायत, (2) प्रधान ग्राम पंचायत, (3) सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा (4) सदस्य जिला पंचायत का प्रत्यक्ष निर्वाचन ग्रामीण मतदाता द्वारा किया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावलियों के आलोक में विस्तृत निर्देश निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी की निर्देश पुस्तिका तथा पीठासीन अधिकारी की निर्देश पुस्तिका में दिये गये हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया का अन्तिम मुख्य कार्य मतगणना तथा परिणाम की घोषणा होता है। मतगणना कार्य के लिये मतगणना प्रबन्ध तथा मतगणना की प्रक्रिया का विस्तृत ज्ञान सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों/ सहायक निर्वाचन अधिकारियों तथा मतगणना कार्य में लगे कर्मियों को होना आवश्यक है।

इस निर्देश पुस्तिका में मतगणना प्रबन्ध तथा मतगणना कार्य की समुचित जानकारी दी गई है जो जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन अधिकारियों/सहायक निर्वाचन अधिकारियों तथा मतगणना प्रबन्ध में लगे कर्मियों के लिये मार्ग दर्शक सिद्ध होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

दिनांक– 01 जनवरी, 2010

राजेन्द्र भौनवाल,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,उ0प्र0।

विषय सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1	मतगणना प्रबन्ध	4
2	मतगणना की तिथि, स्थान व समय	4
3	मतगणना केन्द्र बनाया जाना	4
4	मतगणना सामग्री	5
5	मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था	6
6	मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने वाले व्यक्ति	6
7	मतगणना के सम्बन्ध में सामान्य प्रक्रिया	7
परिशिष्ट		
1	मतगणना स्थल का मानचित्र	13
2	संदिग्ध मतपत्रों के उदाहरण का रेखाचित्र	14–15
2 (क)	अस्वीकृत किये जाने वाले मतपत्रों के कारणों के उल्लेख की रबर की मोहर	16
3	मतपेटिका में गड़बड़ी के सम्बन्ध में शिकायत पर निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी	17
4	गणना पर्ची	18
5	ग्राम पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम	19
6 व 7	ग्राम प्रधान के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम	20–21
8 व 9	क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम	22–23
10, 11 व 12	जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम	24–26
13	निर्वाचन परिणाम पंजिका	27
14,15, 16, 17	पंचायतों के सामान्य/उप निर्वाचन के परिणाम घोषणा के उपरान्त दिये जाने वाले प्रमाण पत्र (सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत)	28–31

मतगणना प्रबन्ध

मतगणना और परिणाम की घोषणा का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का अन्तिम स्तर होता है, परन्तु यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है क्योंकि अशुद्ध, अनियमितता और लापरवाही से की गई गणना सारी मतदान प्रक्रिया को विनिष्ट कर सकती है, अतः मतगणना के कार्य को अत्यन्त व्यवस्थित, विधिवत, शान्तिपूर्ण और सुचारू रूप से सम्पादित कराना निर्वाचन अधिकारी का परम कर्तव्य है। इस हेतु मतगणना प्रबन्ध, निर्वाचन कार्य का एक अत्यन्त आवश्यक अंग है। उ0 प्र0 पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 तथा उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अधीन पंचायत निर्वाचन यथा सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत का प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्पन्न होता है। उपर्युक्त चारों निर्वाचन एक साथ हो सकते हैं किन्तु उन्हें दो भागों में भी किया जा सकता है। प्रथम भाग में ग्राम प्रधान व सदस्य ग्राम पंचायत का निर्वाचन एक साथ व द्वितीय भाग में सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य जिला पंचायत का चुनाव एक साथ सम्पन्न कराया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चारों निर्वाचन एक साथ होने की दशा में सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान के निर्वाचन के लिये एक मतपेटी एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन के लिये दूसरी मतपेटिका प्रयोग की जाती है।

उपर्युक्त सभी मतपेटियां मतदान समाप्त होने के पश्चात् मतदान स्थलवार विकास खण्ड में स्थापित दृढ़ कक्ष (strong room) में रखी जाती हैं जिनकी सुरक्षा के लिये निर्वाचन अधिकारियों/सहायक निर्वाचन अधिकारियों की निर्देश पुस्तिका में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

मतगणना की तिथि, स्थान व समयः–

राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में निर्वाचन अधिकारी, मतों की गणना के लिये तिथि, स्थान व समय अंकित करते हुए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा सूचना देगा। यदि मतों की गणना के लिये नियत समय पर मतपेटिकायें जिनमें मतों की गणना के लिये मत हों, निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त न हों या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से वह गणना की कार्यवाही करने में असमर्थ हो, तो वह राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति से दूसरे दिनांक के लिये गणना को स्थगित कर सकता है और इसके लिये समय व स्थान निश्चित कर सकता है, जिसकी सूचना सभी उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा दी जायेगी।

मतगणना केन्द्र बनाया जानाः–

सामान्यतः मतगणना का कार्य विकास खण्ड मुख्यालय परिसर में सम्पादित होगा। विशेष परिस्थितियों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय परिसर के अतिरिक्त विकास खण्ड मुख्यालय के अन्य स्थान पर भी गणना का कार्य कराया जा सकता है जिसके परिवर्तन की पूर्व अनुमति आयोग से अवश्य प्राप्त करनी होगी। मतगणना के लिये किसी पक्के भवन में ऐसे हाल का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें 60X 40 फीट साइज का आच्छादित स्थान उपलब्ध हो। यदि ऐसा हाल उपलब्ध न हो तो खुले स्थान पर 60 X 40 फीट साइज का पंडाल

लगाकर मतगणना की व्यवस्था की जा सकती है। उक्त हाल/पंडाल में 6 X 5 फीट साइज की 14 गणना मेजें लगाई जायेंगी और एक मेज 12 X 5 फीट साइज की निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा उनके सहायक स्टाफ के बैठने के लिए होगी। साथ ही उसी के निकट उम्मीदवारों अथवा उनके निर्वाचन अभिकताओं के लिये भी स्थान सुरक्षित रखना होगा। मतगणना हाल/पंडाल में अन्दर आने का एक ही रास्ता रखा जायेगा और उक्त हाल/पंडाल सभी ओर से दीवाल अथवा कनात से घिरा रहेगा। हाल के अन्दर दोनों तरफ बल्ली लगाकर आठ–आठ फुट का गलियारा रखा जायेगा जो मतगणना अभिकर्ताओं के खड़े होने/बैठने के लिये निश्चित रहेगा। एक गणना मेज पर 5 कुर्सियां होंगी, एक मतगणना पर्यवेक्षक के लिये तथा चार गणना सहायकों के लिये। अन्दर आने वाले रास्ते के विपरीत दिशा में कोने पर दरी विछा कर गणना के पश्चात् पैकेटों के सील बन्द करने की व्यवस्था होगी। हाल में दोनों तरफ सात–सात गणना मेजें लगायी जायेंगी, बीच में आठ फुट का रास्ता गणना कार्य में लगे कर्मियों तथा अन्य सम्बद्ध स्टाफ के चलने–फिरने के लिये छोड़ा जायेगा। प्रकाश के लिये प्रत्येक मेज पर एक ट्यूब लाइट और एक बल्ब या आवश्यकता पड़ने पर प्रकाश हेतु एक पैट्रोमैक्स की व्यवस्था होगी। बीच के रास्ते में तीन बल्ब की व्यवस्था होगी। निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी की मेज पर भी एक ट्यूब लाइट तथा दो बल्बों की व्यवस्था होगी। मतपत्रों के पैकेटों को सील करने के स्थान पर भी एक बल्ब की व्यवस्था होगी। मतगणना हाल/पंडाल के अन्दर आने के रास्ते पर दो फोकस लाइट व अन्य तीन कोनों पर तीन फोकस लाइट कुल पॉच फोकस लाइटों की व्यवस्था होगी, विद्युत आपूर्ति की निरन्तरता के लिये एक जनरेटर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी। हाल के अन्दर निर्वाचन अधिकारी की मेज पर लाउडस्पीकर सेट होगा जिसके दो हार्न पंडाल के बाहर स्थापित किये जायेंगे। मतगणना अभिकर्ताओं के खड़े होने के स्थान पर आवश्यकतानुसार (अधिकतम 10 छोटी कुर्सियां प्रति मेज) कुर्सियों की व्यवस्था भी की जा सकती है। मतगणना कक्ष/पंडाल का नक्शा परिशिष्ट–1 में दिया गया है।

मतगणना सामग्रीः–

सामान्यतया मतगणना के लिये निम्नलिखित सामान की आवश्यकता होगीः–

"मेज पर मतगणना की व्यवस्था हेतु"

1. डाट पेन –5
2. कागज के आठ पन्ने (फुल स्कैप)
3. गीला स्पंज या छोटे प्याले में पानी –2
4. सुतली (लगभग 200 ग्राम)
5. रबर बैंड (लगभग 100 ग्राम)
6. चार पेपर वेट या पत्थर के छोटे टुकड़े
7. गणना प्रपत्र
8. गणना पर्ची –100

"मतपत्रों आदि की गणना के बाद सील करने की व्यवस्था हेतु"

1. मतपत्रों की पैकिटिंग के लिये आवश्यकतानुसार बांसी कागज
2. धागा–एक गोला

3. ब्लेड– 1

4. सूजा– 1

5. सीलिंग मैटिरियल (चपड़ा 200 ग्राम, मोमबत्ती 2, धातु की मुहर)

6. रबर स्टैम्प

7. मुहर–2 (मतपत्रों को अस्वीकृत करने वाली)

मतगणना के दौरान जो मतपत्र निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये जाने योग्य पाये जाते हैं उन्हें अस्वीकार किये जाने के लिये विभिन्न कारणों को दर्शाने वाली रबर की मुहर (परिशिष्ट–2 तथा 2क में दिये गये नमूने के अनुसार) की व्यवस्था करनी होगी। इसे स्थानीय स्तर पर तैयार किया जा सकता है।

मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाः–

निर्वाचन अधिकारी का यह दायित्व है कि मतगणना को शान्तिपूर्ण और सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त एवं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखे। सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन और निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला पुलिस प्रमुख से विचार विमर्श करके किया जायेगा। सुरक्षा बल गणना हाल/पंडाल के बाहर ही तैनात होगा। उसे निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अन्दर जाने की अनुमति नहीं होगी।

मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने वाले व्यक्तिः–

उस परिसर में जहॉं मतगणना का कार्य सम्पन्न होता है, केवल उन्हीं कर्मियों का प्रवेश अनुमन्य किया जाये जो मतगणना कार्य से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से सम्बद्ध हों। उदाहरणार्थ मतगणना कार्य में लगे गणना कर्मी, निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त स्टाफ, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा मतगणना अभिकर्ता, तथा मतगणना कार्य में पंडाल, प्रकाश, लंच व चाय नाश्ता आदि की व्यवस्था के लिये नियोजित व्यक्ति जिन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा सीमित संख्या में प्रवेश पत्र जारी किया गया हो। मतगणना टेबल पर एक समय में उम्मीदवार, उसका मतगणना अभिकर्ता या निर्वाचन अभिकर्ता में से एक ही व्यक्ति उपस्थित रहेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ही मतगणना स्थल पर रह सकते हैं। शान्ति और सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि उपर्युक्त व्यक्तियों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया जाये और सुरक्षा बलों को निर्देश दे दिया जाये कि उक्त प्रवेश पत्र धारित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी को अन्दर न आने दें। हाल/पंडाल में उपस्थित व्यक्तियों का भी बार–बार अन्दर बाहर आना नियंत्रित किया जाये। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को विशेष रूप से निर्देश दे दिये जायें कि वह स्वयं मतगणना के समय उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो गणना अभिकर्ता की नियुक्ति करके गणना की तिथि से एक दिन पहले तक निर्वाचन अधिकारी को नियुक्ति पत्र की एक प्रति सौंप दें और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें उसी दिन प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाये। क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन में उम्मीदवार के साथ उसके गणना अभिकर्ता भी हाल/पंडाल में जाने हेतु प्रवेश पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे परन्तु एक मतगणना मेज पर उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता या उसके मतगणना अभिकर्ता तीनों में से एक व्यक्ति ही एक समय में रह सकते हैं।

मतगणना के सम्बन्ध में सामान्य प्रक्रियाः–

क. **मतपेटिकाओं की जॉचः–** मतगणना स्थल पर लाई गई मतपेटिकाओं के सील आदि की जॉच कर ली जानी चाहिए।

ख. **उम्मीदवारों द्वारा मतपेटिकाओं का निरीक्षणः–** उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को या गणना अभिकर्ताओं को ऐसा अवसर देना चाहिये कि वे मतपेटिकाओं और उनकी मुहरों के ठीक होने की संतुष्टि के लिये निरीक्षण कर लें।

ग. **मतपेटिकाओं में गड़बड़ीः–**निर्वाचन अधिकारी को स्वयं इस बात से भी संतुष्ट हो जाना चाहिए कि मतपेटिकाओं में गड़बड़ी नहीं की गई है। ऐसी दशा में जब मतपेटिकाओं में गड़बड़ी की गयी हो, निर्वाचन अधिकारी, उ0 प्र0 पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के नियम–104 (ग) के साथ पठित नियम–100 में निर्धारित रीति का अनुसरण करेंगे।ऐसे मामलों में मतगणना नहीं की जायेगी बल्कि मतगणना स्थगित की जायेगी। निर्वाचन अधिकारी उसी समय जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को तुरन्त तत्सम्बन्धी सूचना भेज देंगें।

घ. **गड़बड़ी के सम्बन्ध में टिप्पणीः–** यदि कोई उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता किसी मतपेटिका में गड़बड़ी किये जाने के सम्बन्ध में आरोप लगाता है और निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट नही होता है कि मतपेटिका में गड़बड़ी की गयी है तो उसे इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त टिप्पणी (परिशिष्ट–3 के अनुसार) अभिलिखित करनी होगी।

ङ **मतगणना की गोपनीयताः–** मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन समस्त उपस्थित व्यक्तियों को **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबन्धों को** पढ़कर सुना देना चाहिये।

17. प्रत्येक मतदान स्थल (पोलिंग स्टेशन) के सम्बन्ध में मतगणना का कार्य निम्नांकित प्रकार से किया जाएगाः–

क. जैसे ही मतपेटिका खोली जाये, निर्वाचन अधिकारी मतपेटिका के अभिज्ञान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसमें बनाये गये चिह्नों की जॉच करेगा।

ख. उपर्युक्त रीति से मुहरों आदि की समाधानकारक जॉच कर लिये जाने पर मतदान स्थल की मतपेटिका को खोल कर उसमें से सभी मतपत्र गणना मेज पर निकाले जायेंगे।

ग. मतगणना अभिकर्ताओं को यह देख लेने का अवसर दिया जाएगा कि उन मतपेटिकाओं में से सभी मतपत्र बाहर निकाल दिये गये हैं और वे पूर्णतः खाली हो गयी हैं।

घ. इस बात की सावधानी रखी जायेगी कि मतपत्रों को मतपेटिकाओं से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर–उधर न होने पाये।

ड़. गणना की मेजों पर ग्राम पंचायत वार मतदान स्थलों की मतपेटिकायें रखी जायेंगी। यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकायें प्रयुक्त हुई हों, तो ऐसी सभी

मतपेटिकाओं को उससे सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की हो रही मतगणना की मेज पर एक साथ रखा जायेगा। गणना की मेज पर सम्बन्धित मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपेटिकाओं के साथ मतपत्रों का लेखा भी दिया जायेगा, जो मतदान स्थल से प्राप्त हुये हों।

च. सर्व प्रथम सम्बन्धित ग्राम पंचायत के मतदान स्थल पर प्रयुक्त ग्राम पंचायत सदस्यों और प्रधानों के मतपत्रों वाली मतपेटिका खोली जायेगी और उन्हें अलग–अलग छाँट कर 50–50 की गड्डियों में स्लिप के साथ बिना उम्मीदवार के मत की गणना किये हुये रखा जायेगा। अन्तिम गड्डी 50 से कम मतपत्रों की हो सकती है, उसमें स्लिपों पर मतपत्रों की संख्या लिख दी जायेगी। सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के मतों को बिना गणना किये हुये अलग–अलग बंडल में रखा जायेगा। तदुपरान्त उस मतदान स्थल की यदि दूसरी मतपेटी हो तो उसे खोला जायेगा और उसी प्रकार गड्डियां बना करके सदस्यों और प्रधानों के लिये अलग–अलग बंडलों में उन गड्डियों में रखा जायेगा। यही प्रक्रिया उस ग्राम पंचायत के दूसरे या तीसरे जितने भी मतदान स्थल हों, के सम्बन्ध में दोहराई जायेगी।

18. उपर्युक्त कार्यवाही पूरी होने पर पदवार मतगणना प्रारम्भ की जायेगी। पहले ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिये डाले गये मतपत्रों की गणना की जाय। इसके बाद ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिये डाले गये मतपत्रों की गणना की जाये। चूँकि सदस्य ग्राम पंचायत के लिये डाले गये मतपत्रों में मतदान स्थल से सम्बद्ध सभी वार्डों के मतपत्र सम्मिलित होगें, इस लिये मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छँटनी कर ली जाये और फिर उनकी वार्डवार गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैण्ड से बांध दिया जाएगा। तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड की गड्डियों की उम्मीदवारवार/प्रत्याशीवार छँटाई की जाएगी तथा बारी–बारी से गणना प्रारम्भ की जायेगी। इसके पश्चात् प्रधान के पक्ष में डाले गये मतपत्रों की उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अलग–अलग गड्डियों की गणना उम्मीदवार/प्रत्याशीवार कर ली जाएगी।

यदि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का निर्वाचन भी ग्राम पंचायत के साथ हुआ है तो उसी प्रकार उक्त मतदान स्थल पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिये प्रयुक्त मतपेटी को खोला जायेगा और क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिये मतपत्रों को अलग–अलग छाँट कर पूर्व निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 50–50 की गड्डियाँ बनाई जायेंगी। अन्तिम गड्डी जो 50 से कम मतों की हो सकती है पर मतों की संख्या लिख कर स्लिपें लगाई जायेंगी और उन्हें सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के मतपत्रों के अलग–अलग बंडल में रखा जायेगा। यही प्रक्रिया उस ग्राम पंचायत के दूसरे या तीसरे जितने भी मतदान स्थल हों, के सम्बन्ध में दोहराई जायेगी।

उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मतगणना प्रारम्भ की जायेगी। पहले क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों के पक्ष में डाले गये मतपत्रों में मतदान स्थल से सम्बन्धित सभी वार्डों के मतपत्र सम्मिलित होंगे। इसलिये मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छँटनी कर ली जायेगी और फिर उनकी वार्डवार गड्डियॉ बनाकर उन्हें रबर बैण्ड से बांध दिया जाएगा। तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड की गड्डियों को उम्मीदवार/प्रत्याशीवार छँटाई की जाएगी तथा बारी–बारी से गणना प्रारम्भ की जाएगी।

19. गणना के दौरान मतपत्रों को उनके रंगों के अनुसार पृथक–पृथक गड्डियाँ बनाई जायेंगी किन्तु गड्डियां बांधते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि क्या कोई मतपत्र निम्न आधारों में से किसी भी आधार पर रद्द करने योग्य तो नही है।

अस्वीकृत किये जाने वाले मतपत्रों के आधार चित्ररूप (परिशिष्ट– 4 व 5) में दर्शाए गये हैं।

(1) जब सामने की ओर कोई भी निशान न लगा हो, या

(2) निशान इसके प्रयोजनार्थ दिये गये उपकरण से भिन्न उपकरण या तरीके से लगाया गया हो, या

(3) जब निशान खाली स्थान पर अर्थात् पृष्ठ भाग पर या पूरी तरह से उपेक्षित स्थान पर लगा हो, या

(4) जब दो या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगे हों, या

(5) जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो, या

(6) जब मतपत्र इतना कटा– फटा हो कि इसकी पहचान न की जा सकती हो, या

(7) जब मतपत्र प्रमाणित न हो या वह नकली हो, या

(8) निशान चुनाव चिह्न को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो।

20. मतपत्रों को उम्मीदवारों को दिये गये मतों के अनुसार छॉट लिया जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों को, जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाने वाले हों, एक बंडल में अलग रख दिया जाएगा।

21. प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों के बंडलों को एक साथ बांध दिया जायेगा और उस पर पर्ची (परिशिष्ट–4) लगा दी जायेगी, जिसमें उन बंडलों की कुल संख्या तथा उम्मीदवार का नाम लिखा जायेगा। संदिग्ध मतपत्रों का अलग बण्डल बनाया जायेगा। उस पर पर्ची लगायी जायेगी और उस पर्ची पर शब्द संदिग्ध मतपत्र तथा संदिग्ध मतपत्रों की कुल संख्या लिखी जायेगी।

22. मतपत्रों की गणना के बाद ग्राम पंचायत के सदस्यों व प्रधानों के मतों का विवरण निर्धारित प्रपत्र (क्रमशः परिशिष्ट–5 से 7) में अंकित किया जाएगा जब कि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्यों के मतों का विवरण निर्धारित प्रपत्र (क्रमशः परिशिष्ट–8 से 12) में अंकित किया जाएगा।

23. गणना मेज से गणना पर्ची एवं मतपत्रों के बंडल प्राप्त होने पर गणना पर्यवेक्षक अस्वीकृत किये जाने वाले मतपत्रों का बंडल और गणना पर्ची के साथ विभिन्न उम्मीदवारों के वैध मतपत्रों के बंडलों को

निर्वाचन अधिकारी को दे देगें। निर्वाचन अधिकारी उसके वैध और संदिग्ध मतपत्रों की जांच करेगा व अन्तिम आदेश पारित करेगा और जहॉ कहीं आवश्यक होगा गणना पर्ची (परिशिष्ट–4) में संशोधन करेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में वह एक संक्षिप्त टिप्पणी भी अभिलिखित करेगा।

24. मतपत्रों के परीक्षण के सम्बन्ध में यह बात मालूम करने के लिए कि किसको मत दिया गया है,महत्वपूर्ण बातें निम्नांकित है तथा इस सम्बन्ध में रेखाचित्र (परिशिष्ट–2) दिया गया हैः–

क. मतपत्र में उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिह्न लगाया जाना चाहिये। नियमों में निर्वाचक के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह केवल चुनाव चिह्न के ऊपर ही मुहर लगाये। यदि चिह्न अन्यत्र लगाया गया है और यह उचित रूप से स्पष्ट है कि वह एक खास उम्मीदवार को मत देना चाहता है तब उस उम्मीदवार के लिये मत की गणना की जाएगी।

ख. एक निर्वाचक किसी उम्मीदवार के प्रतीक के सामने एक से अधिक चिह्न लगा सकता है। उससे न तो मतपत्र अमान्य होगा और न ही प्रश्नगत उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत अवैध होगा।

ग. यदि मूल निशान वास्तव में एक उम्मीदवार के स्तम्भ में लगाया गया है परन्तु मतपत्र को किसी प्रकार मोड़ने के फलस्वरूप उसकी किसी अन्य उम्मीदवार के स्तम्भ में छाया आ जाती है तो ऐसा मत मूल निशान के उम्मीदवार के पक्ष में ही दिया गया माना जायेगा।

घ. जहॉ चिह्न इस प्रकार से लगाया गया है कि उसका एक भाग दो उम्मीदवारों के बीच विभाजित करने वाली रेखा को छूता हो या पार करता हो, तब भी निश्चित रूप से वह संदिग्ध मत का मामला नहीं होगा। यदि चिह्न की स्थिति ऐसी है कि उससे पर्याप्त निश्चितता के साथ सूचित होता है कि मतदाता एक खास उम्मीदवार के पक्ष में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिये उक्त उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिह्न लगाना चाहता है, तब उस उम्मीदवार के पक्ष में मत के रूप में मान लेना चाहिये।

चिह्न का प्रत्येक मामला जिसके बारे में विवाद है या जिसके बारे में गणना लिपिक को स्वयं संदेह है, निर्वाचन अधिकारी को उसके आदेश के लिए अभिदिष्ट किया जाएगा।

25. उपर्युक्त वैध मतपत्रों की जॉच हो जाने पर तथा गणना पर्चियों में आवश्यकतानुसार प्रविष्टियों की शुद्धि किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायक लिपिक की सहायता से गणना का परिणाम लिखा जायेगा तथा उसका सत्य परीक्षण किया जायेगा।

26. **<u>निविदत्त मतपत्र वाले कोई भी लिफाफे न तो खोले जायेंगे और न ही उसमें रखे मतपत्रों की गणना की जायेगी।</u>**

27. पोलिंग स्टेशनों के मतपत्रों की गणना समाप्त होनें पर तथा संदिग्ध मतपत्र प्राप्त हो जाने पर उनके निर्धारित प्रपत्रों में प्रविष्टियों को कर लिये जाने तथा उनका सत्य परीक्षण हो जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी समस्त मतपत्रों तथा अन्य कागजात को एक पैकेट में रख देगा।

28. ग्राम पंचायत के मतदान स्थल के मतपेटिकाओं में रखे गये मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी को समस्त मतपत्रों की गणना कर लेनी चाहिये,ताकि वास्तविक मतपत्रों की संख्या तथा गणना में अंकित मतपत्रों की संख्या का मिलान हो सके।

29. मतपेटियों में पाये गये मतपत्रों के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियाँ पूरी हो जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी (परिशिष्ट 5, 6, 8 व 10 में) उम्मीदवारों के लिये नियत स्तम्भों के अन्त में मतपत्रों की संख्या दर्ज करेगा। यह करने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार के सम्बन्ध में वैध और अस्वीकृत मतपत्रों के आँकड़ों का योग किया जायेगा और मतपेटिकाओं के साथ प्राप्त मतपत्र के लेखा से मिलान किया जायेगा। **यदि मिलान के समय मतपत्रों की संख्या में अन्तर प्राप्त होता है तो निर्वाचन अधिकारी उसको अभिलिखित करेगा।**

30. **पुनर्गणनाः–**इसके लिये किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र पर निर्वाचन अधिकारी के निर्वाचन परिणाम घोषित करने के पूर्व मतों की फिर से सम्पूर्ण या आंशिक गणना की जा सकेगी किन्तु निर्वाचन अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थना पत्र को, जो उसे व्यर्थ या अनुचित जान पड़े, अस्वीकृत करने का कारण उसी समय अभिलिखित करके अस्वीकृत कर देगा।

तत्पश्चात् गणना पर्यवेक्षक द्वारा विवरण (परिशिष्ट 5, 6, 8 व 10) तैयार किया जायेगा और उसमें नाम सहित हस्ताक्षर करने के बाद निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन विवरणों की प्रविष्टियों का सत्य परीक्षण करने के पश्चात् निर्वाचित प्रत्याशी का यथास्थान नाम लिखकर हस्ताक्षर किया जायेगा।

31. तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पूर्व तुरन्त निर्धारित पंजिका (परिशिष्ट–13) पर विवरण दर्ज करके निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर लेगा और स्वयं या सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और वही अधिकारी **तदनन्तर** तत्काल निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा। निर्धारित पंजिका (परिशिष्ट–13) में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये अलग–अलग पृष्ठ निर्धारित रहेंगें जिसमें उस ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन परिणाम के अन्त में प्रधान पद का निर्वाचन, परिणाम का विवरण अंकित किया जायेगा और सदस्य ग्राम पंचायत के मामले में प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–14) तथा प्रधान के मामले में प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–15) जारी किया जायेगा।

मतगणना प्रपत्र (परिशिष्ट–7, 11 व 12) निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे। तत्पश्चात् उक्त सभी प्रपत्रों के आधार पर निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी लिपिक की सहायता से गणना परिणाम का चार्ट तैयार करायेगा। सदस्य क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतों की गणना और परिणाम लिखने और उसका सत्य परीक्षण करने के पश्चात् घोषणा करेगा और प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–15) जारी करेगा।

सदस्य जिला पंचायत के मतों के परिणाम विवरणों को तैयार करके सत्य परीक्षण के पश्चात् तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा और सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन के परिणाम सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतपत्रों की गणना के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा सत्य परीक्षण के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी द्वारा उद्घोषित किया जायेगा और प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–16) जारी किया जायेगा। प्रपत्र (परिशिष्ट–5 से 12 तक) मतगणना के पश्चात् सील मुहर किये जायेंगे परन्तु पंजिका (परिशिष्ट–13) सीलबन्द नहीं होगी। निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि मतगणना की समाप्ति के 3 दिन के अन्दर उसे पंचास्थानि चुनावालय में जमा करके सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से रसीद प्राप्त करेगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
(पंचायत एवं स्थानीय निकाय)
उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट — 1

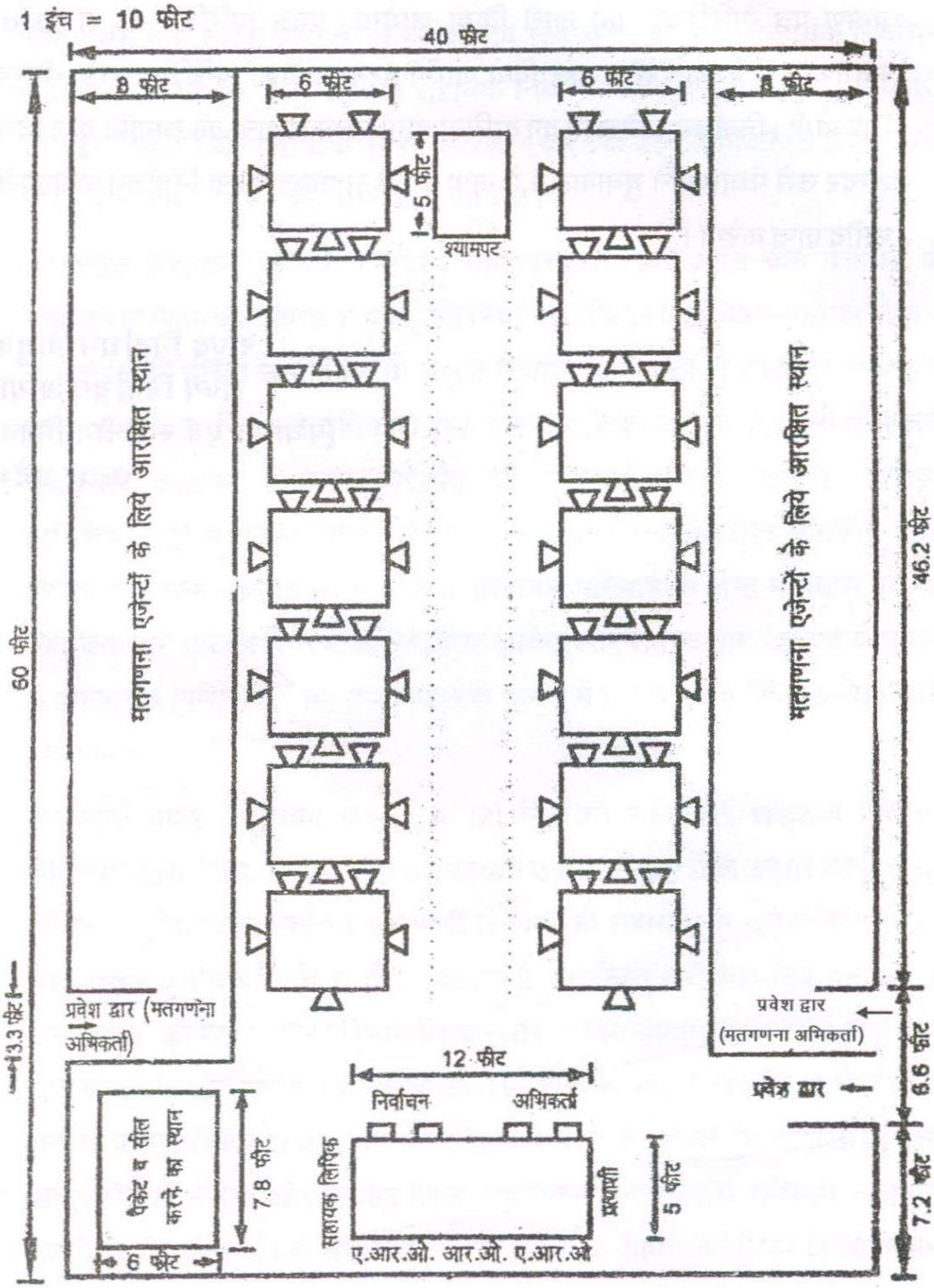

1 इंच = 10 फीट
40 फीट
8 फीट
6 फीट
6 फीट
8 फीट
5 फीट
श्यामपट
मतगणना एजेन्टों के लिये आरक्षित स्थान
मतगणना एजेन्टों के लिये आरक्षित स्थान
60 फीट
46.2 फीट
3.3 फीट
प्रवेश द्वार (मतगणना अभिकर्ता)
प्रवेश द्वार (मतगणना अभिकर्ता)
12 फीट
निर्वाचन
अभिकर्ता
प्रवेश द्वार
6.6 फीट
7.2 फीट
पैकेट व सील करने का स्थान
7.8 फीट
6 फीट
सहायक लिपिक
प्रत्याशी
5 फीट
ए.आर.ओ. आर.ओ. ए.आर.ओ.

परिशिष्ट – 2

1– निशान चुनाव चिन्ह विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित

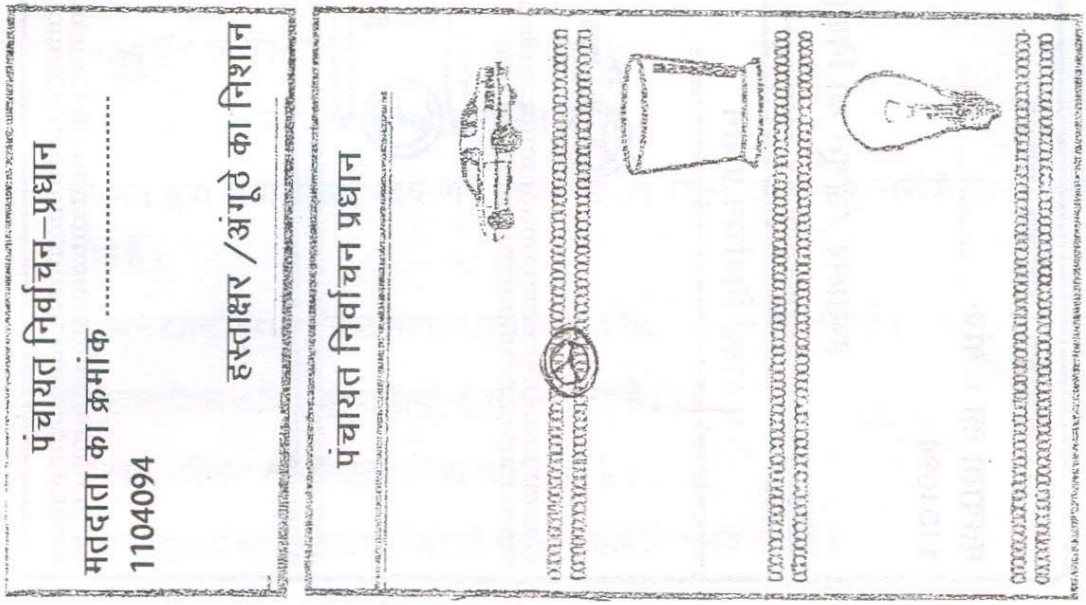

2– मतदाता की पहचान के साथ निशान

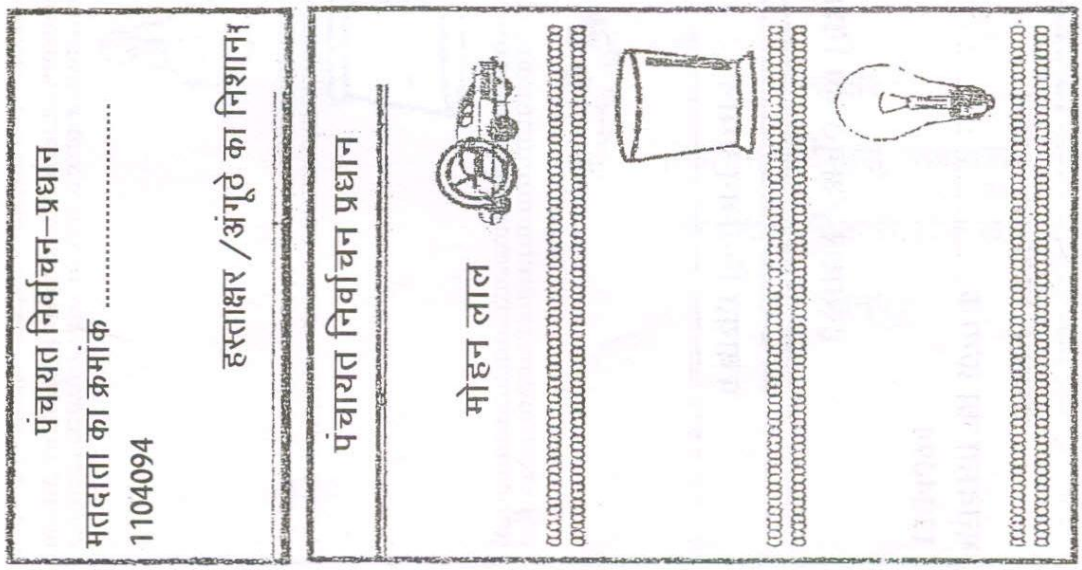

परिशिष्ट – 2

3–दो या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान

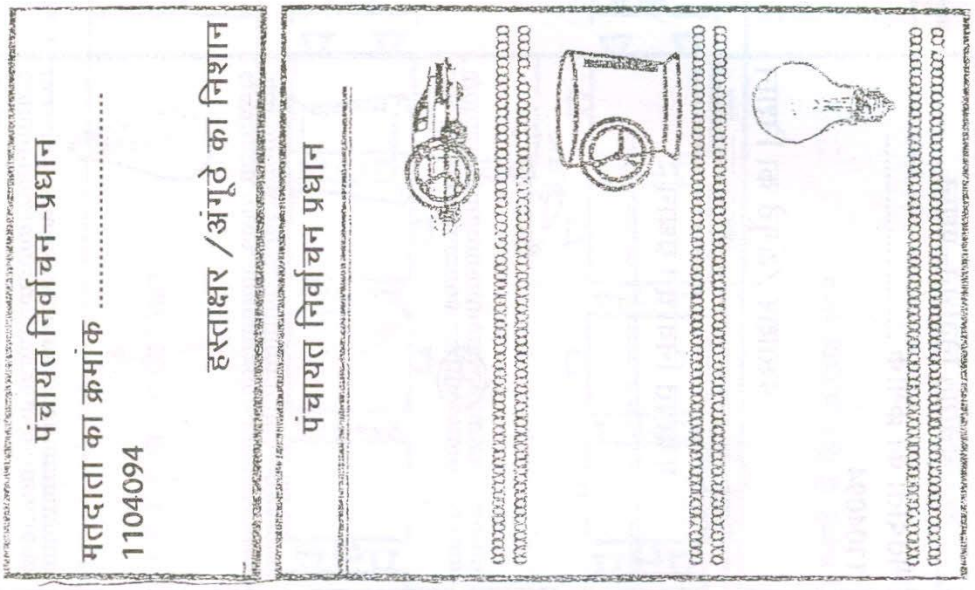

4– कोई निशान नहीं

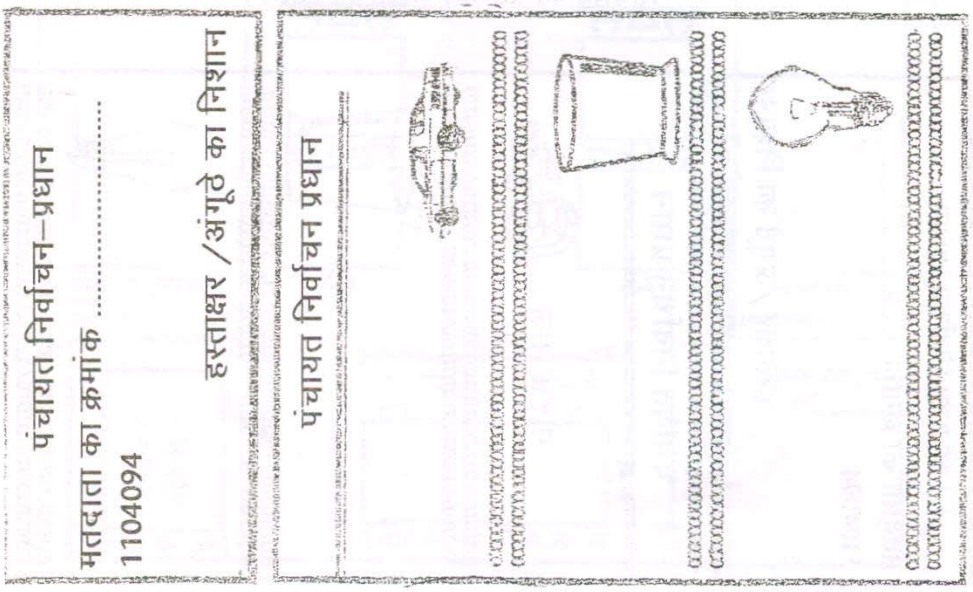

परिशिष्ट–2 (क)

यह मतपत्र निम्न कारण से अस्वीकृत किया जाता है :–

1 सामने की ओर कोई निशान नहीं लगा है।

2 निशान इस प्रयोजनार्थ दिये गये उपकरण से भिन्न उपकरण/तरीके से लगाया गया है।

3 निशान खाली स्थान/पृष्ठ भाग या पूरी तरह उपेक्षित स्थान पर लगा है।

4 निशान दो या अधिक प्रत्याशियों के सामने लगा है।

5 निशान/लेखन से मतदाता की पहचान होती है।

6 मतपत्र इतना कटा–फटा है जिससे मत की पहचान संभव नहीं है।

7 मतपत्र प्रामाणिक नहीं है और नकली है।

8 निशान चुनाव चिह्न को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित है।

हस्ताक्षर————
निर्वाचन अधिकारी/
सहायक निर्वाचन अधिकारी
विकास खण्ड
जनपद

परिशिष्ट–3

आदेश

मैने श्री/श्रीमती/कु0.....उम्मीदवार पद/स्थान.....विकास खण्ड.....जनपद.....की/के निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता की शिकायत दिनांक.....को देखा, सुना ।

शिकायतकर्ता की शिकायत निम्नांकित कारणों से निरस्त करने योग्य है :–

1

2

3

4

अतः उक्त शिकायत खारिज की जाती है।

हस्ताक्षर–
निर्वाचन अधिकारी/
सहायक निर्वाचन अधिकारी
विकास खण्ड
जनपद

परिशिष्ट–4

गणना पर्ची

सामान्य */उप निर्वाचन*.....

पद/स्थान– प्रधान*/सदस्य ग्राम पंचायत*/सदस्य क्षेत्र पंचायत*/ सदस्य जिला पंचायत* वार्ड/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या *.....नाम(यदि कोई हो).....

ग्राम पंचायत..... मतदान स्थल क्रमांक व नाम.....

गणना के लिये प्राप्त मतपत्रों की सं0.....बंडलों की सं0.....कुल मतपत्रों की सं0.....

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	वैध मतपत्रों के बंडलों की सं0	वैध मतों की संख्या
1			
2			
3			

संदिग्ध मतपत्रों की संख्या .....

अस्वीकृत मतपत्र .....

योग

हस्ताक्षर–
गणना पर्यवेक्षक :

हस्ताक्षर–
निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी

* जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट–5

ग्राम पंचायत (सदस्य) निर्वाचन

(नियम–49 ङ व 52 देखिये)

ग्राम पंचायत.....के वार्ड संख्या.....के

सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान स्थल सं0.....मतदान केन्द्र सं0.....स्थान.....

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	चुनाव चिह्न	उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये वैध मतों की संख्या
1	2	3	4

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या.....

(ग) डाले गये मतों की संख्या.....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित सदस्य का नाम.....

मतगणना का स्थान .....(गणना पर्यवेक्षक का नाम व हस्ताक्षर)

मतगणना मेज संख्या.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर———

निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (ग्राम पंचायत)

परिशिष्ट–6

ग्राम पंचायत (प्रधान) निर्वाचन

(नियम–104 ङ व 107 देखिये)

ग्राम पंचायत.....के

प्रधान के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान स्थल सं0.....मतदान केन्द्र सं0.....सम्मिलित वार्डो का क्रमांक.....

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	चुनाव चिह	उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये वैध मतों की संख्या
1	2	3	4

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या.....

(ग) डाले गये मतों की संख्या.....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित सदस्य का नाम.....

मतगणना का स्थान ..... (गणना पर्यवेक्षक का नाम व हस्ताक्षर)

मतगणना मेज संख्या.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर–––

निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (ग्राम पंचायत)

परिशिष्ट–7

ग्राम पंचायत (प्रधान) निर्वाचन

(नियम– 49 ङ व 52 देखिये)

ग्राम पंचायत प्रधान.....के

निर्वाचन में मतदान स्थलों के मतों की गणना का परिणाम

मतदान स्थल सं0.....मतदान केन्द्र सं0.....स्थान.....

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	चुनाव चिह्न	उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये वैध मतों की संख्या मतदान स्थलवार	योग
1	2	3	4	5

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या.....

(ग) डाले गये मतों की संख्या.....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित प्रधान का नाम.....

गणना का स्थान –

दिनांक.....

हस्ताक्षर–––

निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (ग्राम पंचायत)

परिशिष्ट–8

क्षेत्र पंचायत (सदस्य) निर्वाचन

भाग–1

(नियम–50 ङ व 53 देखिये)

क्षेत्र पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....के

क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान स्थल सं0.....मतदान केन्द्र सं0.....ग्राम पंचायत के सम्मिलित वार्डो की संख्या.....

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	चुनाव चिह	उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3	4

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या.....

(ग) डाले गये मतों की संख्या.....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित सदस्य का नाम.....

मतगणना का स्थान ..... (गणना पर्यवेक्षक का नाम व हस्ताक्षर)

मतगणना मेज संख्या.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर–––

निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (क्षेत्र पंचायत)

परिशिष्ट–9

क्षेत्र पंचायत (सदस्य) निर्वाचन

भाग–2

(नियम–50 ङ व 53 देखिये)

क्षेत्र पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मतों का खण्ड स्तरीय गणना का परिणाम

निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मतदान स्थलों की कुल संख्या

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या							योग
		मतदान स्थलवार							
1	2	3							4

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या.....

(ग) डाले गये मतों की संख्या.....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित सदस्य का नाम.....

मतगणना का स्थान .....(गणना पर्यवेक्षक का नाम व हस्ताक्षर)

मतगणना मेज संख्या.....

दिनांक..... हस्ताक्षर———

निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (क्षेत्र पंचायत)

परिशिष्ट–10

जिला पंचायत (सदस्य) निर्वाचन

भाग–1

(नियम–50 ङ व 53 देखिये)

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....के

जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान स्थल सं0.....मतदान केन्द्र सं0.....क्षेत्र पंचायत के सम्मिलित वार्डो की संख्या.....

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	चुनाव चिह	उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3	4

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या.....

(ग) डाले गये मतों की संख्या.....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित सदस्य का नाम.....

मतगणना का स्थान .....(गणना पर्यवेक्षक का नाम व हस्ताक्षर)

मतगणना मेज संख्या.....

दिनांक..... हस्ताक्षर———

निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (जिला पंचायत)

परिशिष्ट–11

जिला पंचायत (सदस्य) निर्वाचन

भाग–2

(नियम–50 ङ व 53 देखिये)

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... के

जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिये मतों की खण्ड स्तरीय गणना का परिणाम

खण्ड.....के अन्तर्गत जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....में मतदान स्थलों की कुल संख्या.....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	विभिन्न मतदान स्थलों में उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या मतदान स्थलवार												योग

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या.....

(ग) डाले गये मतों की संख्या.....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित सदस्य का नाम.....

मतगणना का स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर–––

निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (जिला पंचायत) विकास खण्ड

परिशिष्ट–12

जिला पंचायत (सदस्य) निर्वाचन

भाग–3

(नियम–50 ङ व 53 देखिये)

जिला पंचायत.....के निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....

जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मतों की जिला स्तरीय गणना का परिणाम

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	विभिन्न विकास खण्ड के मतदान स्थलों के उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की सं0				योग
1	2	3				4
		वि0 खण्ड	वि0 खण्ड	वि0 खण्ड	वि0 खण्ड	

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या.....

(ग) डाले गये मतों की संख्या.....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित सदस्य का नाम.....

मतगणना का स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर–––––

निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (जिला पंचायत)

परिशिष्ट–13

निर्वाचन परिणाम पंजिका

जनपद :– विकास खण्ड :–

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत/ क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का नाम	पद/वार्ड का विवरण	निर्वाचन परिणाम घोषणा का दिनांक व समय	निर्वाचित उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिह्न	निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या	निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर	निर्वाचन आधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

परिशिष्ट–14

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य/उप निर्वाचन (.....)

प्रमाण पत्र (सदस्य, ग्राम पंचायत)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री*/श्रीमती*/सुश्री*.....

पिता*/पति *.....नि0 ग्राम पंचायत.....वि0

ख0.....जनपद.....ग्राम पंचायत...

.....के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से वर्ष.....

.....में सम्पन्न हुए सामान्य/उप निर्वाचन में सदस्य, ग्राम पंचायत निर्वाचित हुए/हुई।

हस्ताक्षर.....

दिनांक..... निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी

का नाम.....

स्थान..... प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....

ग्राम पंचायत .....

विकास खण्ड.....

तहसील.....

जनपद.....

मुहर

* जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट–15

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य/उप निर्वाचन (.....)

प्रमाण पत्र (प्रधान, ग्राम पंचायत)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री*/श्रीमती*/सुश्री*.....

पिता*/पति*.....नि0 ग्राम पंचायत.....वि0 ख0.....

.....जनपद.....ग्राम पंचायत.....वि0 ख0.....

....के प्रधान पद पर वर्ष .....में सम्पन्न हुए सामान्य/उप निर्वाचन में प्रधान, ग्राम पंचायत निर्वाचित हुए/हुई।

हस्ताक्षर.....

दिनांक..... निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी

का नाम.....

स्थान..... प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....

ग्राम पंचायत .....

विकास खण्ड.....

तहसील.....

जनपद.....

मुहर

* जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट–16

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य/उप निर्वाचन (.....)

प्रमाण पत्र (सदस्य, क्षेत्र पंचायत)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री*/श्रीमती*/सुश्री*.....

पिता*/पति*.....नि0 ग्राम पंचायत.....वि0

ख0.....जनपद.....क्षेत्र पंचायत...

.....के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से वर्ष.....

.....में सम्पन्न हुए सामान्य/उप निर्वाचन में सदस्य क्षेत्र पंचायत निर्वाचित हुए/हुई।

हस्ताक्षर.....

दिनांक..... निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी

का नाम.....

स्थान..... प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....

क्षेत्र पंचायत.....

विकास खण्ड.....

तहसील.....

जनपद.....

मुहर

* जो लागू न हो उसे काट दें।

परिशिष्ट–17

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य/उप निर्वाचन (.....)

प्रमाण पत्र (सदस्य, जिला पंचायत)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री*/श्रीमती*/सुश्री* .....

पिता* /पति * .....नि0 ग्राम पंचायत.....वि0 ख0.....जनपद.....जिला पंचायत.....के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से वर्ष..... .....में सम्पन्न हुए सामान्य/उप निर्वाचन में सदस्य, जिला पंचायत निर्वाचित हुए/हुई।

हस्ताक्षर.....

दिनांक..... निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी का नाम.....

स्थान..... प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... जिला पंचायत..... जनपद.....

मुहर

* जो लागू न हो उसे काट दें।